बम चंद गुप्ता जे. के समक्ष

कमल कांत *G\NTN-याचिकाकर्ता*

बनाम

शशि साहनी और अन्य - *प्रतिवादी*

2011 का नागरिक संशोधन संख्या 2166

29 मार्च 2007

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 227—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-0.39 रिस. 1 और 2 एस. 151-पंजाब किरायेदारी अधिनियम, 1887-एस. 77(3)(डी) - विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा - मुकदमा 1 से 4 के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी 5 से 7 प्रतिवादियों को संपत्ति बेचना - वादी खरीददारों के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है - नीचे की अदालतें आवेदन को खारिज कर रही हैं - वादी पहले से ही प्रतिवादियों की मां को पर्याप्त राशि का भुगतान कर रहा है क्रमांक 1 से 4—प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, यदि उन्हें विवाद में संपत्ति को स्थानांतरित करने से रोका जाता है क्योंकि मुकदमे की लंबितता के दौरान अलगाव लिस पेंडेंस के सिद्धांत से प्रभावित होता है—नीचे दिए गए न्यायालयों के आदेश नहीं अंतरिम निषेधाज्ञा देने के संबंध में कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत के आधार पर - याचिका की अनुमति दी गई, अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाले वादी के आवेदन की अनुमति दी गई।

माना गया कि लिस पेनेंस के आधार पर, वाद संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की राहत का निर्णय नहीं किया जा सकता है। यदि निषेधाज्ञा नहीं दी गई, तो याचिकाकर्ता-वादी को एक अपूरणीय क्षति और चोट होगी, जिसकी भरपाई पैसे के रूप में नहीं की जा सकती है और इससे मुकदमेबाजी और बढ़ जाएगी। प्रतिवादी-प्रतिवादी इस न्यायालय को यह दिखाने में विफल रहे हैं कि यदि याचिकाकर्ता-वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा दी जाती है तो उन्हें कैसे कोई अपूरणीय क्षति या क्षति होगी। नीचे दिए गए विद्वान न्यायालयों द्वारा पारित आदेश ***गिआड अंतरिम*** निषेधाज्ञा देने के संबंध में कानून के अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत पर आधारित नहीं हैं। इस स्तर पर, प्रश्न में समझौते के संबंध में पार्टी के अधिकारों का निर्णय नहीं किया जा सकता है और इसका निर्णय विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्यों के अवलोकन के बाद किया जाएगा, जिसका नेतृत्व दोनों पक्षों को करना होगा। याचिकाकर्ता-वादी ने प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की माँ को पहले ही पर्याप्त राशि का भुगतान कर दिया है। प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा, यदि वे हैं

विवाद में संपत्ति को स्थानांतरित करने से रोक दिया गया है क्योंकि मुकदमे की लंबित अवधि के दौरान अलगाव लिस पेंडेंस के सिद्धांत से प्रभावित होता है।

(पैरा 14)

याचिकाकर्ता के वकील एससी नागपाल ।

प्रतिवादी-कैविएटर की ओर से वकील मस्नूर अली ।

राम चंद गुप्ता, जे.

2011 का सीएम नंबर 8623-24-सीआईआई

दोनों आवेदनों को सभी अपवादों के अधीन अनुमति दी गई है।

2011 की सीआर संख्या 2166

(1) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा पारित 16 अगस्त, 2010 और 21 फरवरी, 2010, अनुलग्नक पी8 और पी9 के आदेशों को रद्द करने के लिए दायर की गई है - जिसके तहत ***याचिकाकर्ता*** -वादी द्वारा दायर आवेदन नागरिक प्रक्रिया संहिता (इसके बाद इसे 'संहिता' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 151 के साथ पठित आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश को खारिज कर दिया गया है ।

(2) मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और नीचे दिए गए विद्वान न्यायालयों द्वारा पारित किए गए आदेशों सहित पूरे रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

(3) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के निर्णय के लिए प्रासंगिक संक्षिप्त तथ्य यह है कि मकान नंबर 1169, सेक्टर 8-सी, चंडीगढ़ के संबंध में दिनांक 24 जनवरी, 1999 को बेचने के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के माध्यम से कब्जे के लिए एक मुकदमा, और वैकल्पिक रूप से, के लिए रुपये की वसूली वर्तमान याचिकाकर्ता-वादी द्वारा प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खिलाफ श्रीमती के संक्षिप्त आरोपों पर 10 लाख रुपये का हर्जाना दायर किया गया था। सुमित्रा गढ़ोके, प्रतिवादी की मां और स्वर्गीय श्री बिशंबर नाथ गढ़ोके की पत्नी, निवासी मकान नंबर 1169, सेक्टर 8-सी, चंडीगढ़, उक्त घर की मालिक थीं और अपने जीवनकाल के दौरान, उन्होंने घर बेचने के लिए एक समझौता किया था। रुपये के प्रतिफल हेतु 12 जुलाई 1997 को विवाद में। 18,50,000 और यदि खाली कब्ज़ा वितरित किया जाना था तो कीमत रुपये पर तय की गई थी। 21,50,000. उक्त घर के भूतल का एक हिस्सा पहले से ही श्रीमती के कब्जे में था।

सुमित्रा गढ़ोके और वह उसी का खाली कब्जा देने के लिए सहमत हुए। इसके बाद, पार्टियों के बीच 24 जनवरी, 1999 को एक और समझौता निष्पादित किया गया। पहले रु. 2.00 लाख का भुगतान किया गया और उसके बाद रु. 2,20,000 का भुगतान किया गया। विक्रय-पत्र के निष्पादन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2000 तय की गई थी। श्रीमती। सुमुत्रा गधोके ने उक्त घर के हिस्से पर कब्जा करने वाले किरायेदारों के खिलाफ बेदखली याचिका भी दायर की। 3 नवंबर, 2002 को अपने कानूनी उत्तराधिकारियों को छोड़कर उनकी मृत्यु हो गई। वादी अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक था और हालांकि, प्रतिवादी द्वारा समझौते के अनुसार उसके पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने से इनकार करने पर, कब्जे के लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया गया था। उत्तरदाताओं-प्रतिवादियों संख्या 1 से 4 ने इस आधार पर मुकदमे का विरोध करते हुए लिखित बयान दायर किया कि याचिकाकर्ता-वादी के पक्ष में उनकी मां द्वारा ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया था। हालाँकि, यह स्वीकार किया गया है कि श्रीमती। सुमित्रा गधोके ने अपने जीवनकाल के दौरान विवाद में घर के हिस्से पर कब्जा करने वाले किरायेदारों के खिलाफ निष्कासन याचिका दायर की।

(4) अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश के लिए संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत एक आवेदन वर्तमान याचिकाकर्ता-वादी द्वारा मूल उत्तरदाताओं-प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खिलाफ दायर किया गया था, और विद्वान द्वारा इसे आदेश अनुलग्नक पी 5 के माध्यम से निपटाया गया ***था*** । ट्रायल कोर्ट ने उत्तरदाताओं नंबर 1 से 4 को वर्तमान लंबित मुकदमे के संबंध में प्रस्तावित प्रतिवादी के ध्यान में लाने का निर्देश दिया।

(5) उक्त मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, विवादित घर उत्तरदाताओं संख्या 1 से 4 द्वारा उत्तरदाताओं संख्या 5 से 7 को बेच दिया गया था और इसलिए, उन्हें भी वर्तमान मुकदमे में एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया था।

(6) संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत एक और आवेदन याचिकाकर्ता-वादी द्वारा दायर किया गया था, जिसमें प्रतिवादियों को विवादित परिसर की संरचना को ध्वस्त करने, नवीनीकरण करने और बदलने से रोकने के साथ-साथ घर को आगे से अलग करने या किराए पर देने से रोका गया था। विवाद। प्रार्थना का विरोध उत्तरदाताओं-प्रतिवादी संख्या 5 से 7 द्वारा इस दलील पर किया गया कि वे विचार के लिए बिक्री के माध्यम से इसके मालिक बन गए हैं। उक्त आवेदन को विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी संख्या 5 से 7 विवाद में संपत्ति के मालिक बन गए हैं, उन्हें किसी भी तरीके से, जैसा वे चाहें, उससे निपटने का अधिकार है। उक्त आदेश के विरुद्ध वर्तमान याचिकाकर्ता-वादी द्वारा दायर अपील भी विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई।

< < (7) याचिकाकर्ता वादी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाताओं संख्या 1 5 से 7 ने वर्तमान मुकदमे के लंबित रहने के दौरान विवाद में घर खरीदा है और इसमें कोई विवाद नहीं है कि उन्हें उत्तरदाताओं संख्या द्वारा विधिवत सूचित किया गया था। -l से 4 तक न्यायालय के आदेश के अनुसार लंबित मुकदमे के बारे में और इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि उन्हें ***वास्तविक*** खरीदार नहीं कहा जा सकता है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि विवाद में संपत्ति उत्तरदाताओं संख्या 1 से 4 द्वारा उत्तरदाताओं संख्या 5 से 7 को बेची गई थी, जिन्हें मुकदमे में पक्षकार के रूप में शामिल किया गया है और अब वे इसे और अलग करने का इरादा रखते हैं क्योंकि वे बिल्डर हैं और उन्होंने एक विज्ञापन दिया है। उसी के लिए, अनुलग्नक P10. आगे यह भी तर्क दिया गया है कि निचली अदालतों द्वारा जारी निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद उन्होंने पहले ही विवादित घर को ध्वस्त कर दिया है और अब वे उस पर निर्माण करने का इरादा रखते हैं और इसे अलग-अलग व्यक्तियों को बेचने का इरादा रखते हैं। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि पक्षों के बीच मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने के लिए, उत्तरदाताओं-प्रतिवादियों संख्या 5 से 7 को विवाद में संपत्ति को और अधिक हस्तांतरित करने से रोका जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया है कि वर्तमान स्थिति में विवाद में संपत्ति की प्रकृति को वर्तमान मुकदमे के लंबित रहने के दौरान भी बनाए रखा जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता-वादी को अपूरणीय क्षति होगी, यदि उत्तरदाताओं-प्रतिवादियों को विवाद में संपत्ति को ध्वस्त करने के बाद ***नए*** निर्माण की अनुमति दी जाती है। .

(8) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं संख्या 5 से 7 के लिए विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि श्रीमती। सुमित्रा गधोके विवाद वाले घर की मालिक नहीं थीं और विवादग्रस्त घर उनके पति, बिशंभर नाथ गढ़ोके के नाम पर था और उनकी मृत्यु के बाद, यह उनकी बेटी आयशा को विरासत में मिला था, यानी, यदि प्रतिवादी, - ***देखें*** वसीयत, दिनांक 7 नवंबर, 1972। यह आगे तर्क दिया गया है कि मृतक बिशंभर नाथ की सभी बेटियों द्वारा उनके पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था और इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता-वादी के पास उसके पक्ष में ***नोप्रिमाफ़ेसी मामला है।***

(9) जहां तक उत्तरदाताओं संख्या 5 से 7 के लिए विद्वान वकील का तर्क है कि श्रीमती। सुमित्रा गधोके विवाद में संपत्ति की मालिक नहीं थीं और बिशंभर नाथ की बेटियों में से एक पंजीकृत वसीयत के माध्यम से मालिक बन गई थी, ऐसी कोई याचिका उत्तरदाताओं द्वारा नहीं ली गई थी - प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने पहले लिखित बयान में कहा था विवाद में संपत्ति को उत्तरदाताओं संख्या 5 से 7 को बेचना। इसके अलावा, यह पार्टियों के नेतृत्व में साक्ष्य के बाद तय किया जाने वाला मामला है कि क्या श्रीमती। विवाद के बाद पत्नी सुमित्रा गढ़ोके घर की अकेली मालिक बन गईं

उसके पति की मृत्यु या क्या प्रतिवादी-प्रतिवादी नंबर 1 आयशा मृतक बिशंभर नाथ द्वारा कथित तौर पर उसके पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर अकेले ही उसकी मालिक बन गई। इसके अलावा, यदि यह तथ्य होता, तो बिक्री विलेख अकेले आयशा द्वारा उत्तरदाताओं संख्या 5 से 7 के पक्ष में निष्पादित किया गया होता, न कि मृतक बिशंबर नाथ की सभी बेटियों द्वारा। इसके अलावा, मृतक श्रीमती द्वारा दायर निष्कासन याचिका में। किरायेदारों में से एक के खिलाफ सुमित्रा गढ़ोके ने प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 को एक पक्ष के रूप में शामिल करने के लिए आवेदन दायर किया था जो कि अनुबंध पी 4 है, और उक्त आवेदन में, प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पहले का मुकदमा श्रीमती। सुमित्रा गधोके मालिक थीं और वे उनके कानूनी उत्तराधिकारी हैं।

(10) इस स्तर पर, केवल ***प्रथम दृष्टया*** मामला, सुविधा का संतुलन और यह तथ्य कि क्या याचिकाकर्ता वादी को अपूरणीय क्षति होगी, यदि उसे twZ ***एमटी एरीम निषेधाज्ञा आदेश नहीं दिया गया, तो देखा जाना चाहिए।***

(11) प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता-वादी के पास मृतक श्रीमती द्वारा विधिवत निष्पादित बिक्री समझौता है। बिशम्बर नाथ

की पत्नी सुमित्रा गढ़ोके और प्रतिवादी-प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 की मां। याचिकाकर्ता-वादी द्वारा श्रीमती की सभी चार बेटियों के खिलाफ विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा दायर किया गया था। सुमित्रा गढ़ोके मृतक. विद्वान विचारण न्यायालय ने उत्तरदाताओं संख्या 1 से 4 को निर्देश दिया था कि यदि वे इसे किसी अन्य व्यक्ति को बेचने का इरादा रखते हैं, तो उन्हें लंबित मुकदमे से अवगत कराया जाएगा और उत्तरदाताओं संख्या 1 से 4 की ओर से दायर हलफनामे के अनुसार, तथ्य उत्तरदाताओं संख्या 5 से 7 के ध्यान में लाया गया था और वर्तमान मुकदमे की लंबितता के बारे में पूरी तरह से जानते हुए, उन्होंने विवाद में संपत्ति खरीदी थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि वे ***वास्तविक*** खरीदार हैं।

(12) याचिकाकर्ता-वादी यह दिखाने में सक्षम है कि प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 5 से 7 बिल्डरों द्वारा विवाद में संपत्ति को ध्वस्त और पुनर्निर्माण करके और अलग करने का इरादा रखते हैं और इसके लिए उन्होंने विज्ञापन दिया है, अनुलग्नक पीएल 0। इसलिए, के मद्देनजर इन तथ्यों के आधार पर, मेरा विचार है कि यदि उत्तरदाताओं 5 से 7 को विवाद में संपत्ति को अलग-अलग खरीदारों को हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाती है, तो इससे मुकदमेबाजी की बहुलता बढ़ जाएगी। इसलिए, वर्तमान मुकदमे के लंबित रहने के दौरान संपत्ति को संरक्षित किया जाना चाहिए। नीचे के विद्वान न्यायालयों ने उत्तरदाताओं संख्या 5 से 7 को विवाद में संपत्ति को और अधिक हस्तांतरित करने और उस पर आगे निर्माण करने से रोकने के लिए याचिकाकर्ता-वादी द्वारा दायर ***टिक/अंतरिम*** निषेधाज्ञा के आवेदन को खारिज करने में अवैधता और भौतिक अनियमितता की है।

(13)महरवाल खेवाई ट्रस्ट (रजि.ए) फरीदकोट *बनाम* बलदेव दास (1) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि अस्थायी निषेधाज्ञा को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अलगाव लिस पेंडेंस के कानून के अधीन होगा और उठाया गया निर्माण होगा अपने जोखिम पर. आगे यह माना जाता है कि जब तक मुकदमे में किसी पक्ष द्वारा अपूरणीय हानि या क्षति का मामला नहीं बनता है, तब तक अदालत को संपत्ति की प्रकृति को बदलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण या हस्तांतरण भी शामिल है जिससे नुकसान हो सकता है या उस पक्ष को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जो अंततः सफल हो सकता है और आगे चलकर कार्यवाही की बहुलता हो सकती है। प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार है:-

> '9. जो भी हो, श्री सच्चर का यह तर्क सही है कि जब तक मुकदमे के किसी पक्ष द्वारा अपूरणीय क्षति या क्षति का मामला सामने नहीं आता, अदालत को संपत्ति की प्रकृति को बदलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जिसमें स्थानांतरण भी शामिल है या संपत्ति का हस्तांतरण जिसके कारण उस पक्ष को हानि या क्षति हो सकती है जो अंततः सफल हो सकता है और आगे चलकर कार्यवाही की बहुलता हो सकती है। मौजूदा मामले में अपूरणीय क्षति का ऐसा कोई मामला नहीं बनता है, सिवाय इसके कि कानूनी कार्यवाही में लंबा समय लगने की संभावना है, इसलिए, प्रतिवादी को अनुसूचित संपत्ति को बेहतर उपयोग में लाने की अनुमति दी जानी चाहिए। हमें नहीं लगता कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निचली अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी को निर्माण कार्य करके संपत्ति की प्रकृति को बदलने की अनुमति देने के साथ-साथ संपत्ति के हस्तांतरण की अनुमति देकर, जो भी हो, उचित ठहराया था। जिस शर्त पर वैसा ही किया जाता है। अपीलकर्ता का दावा अंततः आधारहीन पाए जाने की स्थिति में, प्रतिवादी के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करना हमेशा खुला रहता है या, उचित मामले में, अदालत स्वयं इस संबंध में हुई हानि, यदि कोई हो, के लिए क्षतिपूर्ति दे सकती है। चूँकि इस मामले के तथ्य प्रतिवादी को निर्माण करने और उसे अलग करने की अनुमति देने के लिए कोई असाधारण आधार नहीं बनाते हैं, हम सोचते हैं कि नीचे की दोनों अदालतों, अर्थात् निचली अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश देने में गलती की है।

उक्त आदेशों को रद्द किया जाता है और ट्रायल कोर्ट का आदेश बहाल किया जाता है।"

(1) 2005 (एल) सीसीसी 430 (एससी = एआईआर 2005 एससी 104 = 2005 (1) पीएलआर 399 = 2004 (8) एससीसी 488 = 2004 आरसीआर (सिविल) 760

(14) इसलिए, मेरे विचार में, लिस पेंडेंस के आधार पर, वाद संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की राहत का निर्णय नहीं किया जा सकता है। यदि निषेधाज्ञा नहीं दी गई, तो याचिकाकर्ता-वादी को एक अपूरणीय क्षति और चोट होगी, जिसकी भरपाई पैसे के रूप में नहीं की जा सकती है और इससे मुकदमेबाजी और बढ़ जाएगी। प्रतिवादी प्रतिवादी इस न्यायालय को यह दिखाने में विफल रहे हैं कि यदि याचिकाकर्ता वादी के पक्ष में निषेधाज्ञा दी जाती है, तो उन्हें कैसे कोई अपूरणीय क्षति या क्षति होगी। निचली अदालतों द्वारा पारित आदेश ***अंतरिम*** निषेधाज्ञा देने के संबंध में कानून के सुस्थापित सिद्धांत पर आधारित नहीं हैं। इस स्तर पर, प्रश्न में समझौते के संबंध में पार्टी के अधिकारों का निर्णय नहीं किया जा सकता है और इसका निर्णय विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा साक्ष्यों के अवलोकन के बाद किया जाएगा, जिसका नेतृत्व दोनों पक्षों को करना होगा। याचिकाकर्ता-वादी ने पहले ही प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की मां को पर्याप्त राशि का भुगतान कर दिया है। यदि उन्हें लंबित अवधि के दौरान विवाद में संपत्ति को हस्तांतरण के रूप में स्थानांतरित करने से रोका जाता है, तो उत्तरदाताओं-प्रतिवादी संख्या 5 से 7 पर कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा। मुकदमे का हिस्सा लिस पेंडेंस के सिद्धांत से प्रभावित है। इस दृष्टिकोण के लिए, **श्रीमती** में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिए गए फैसले पर भी भरोसा किया गया है। **रीता तूर *बनाम* लॉजिकल डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड, (2),** जिसमें समान तथ्यों पर, प्रतिवादियों को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान विवाद में संपत्ति को हस्तांतरित करने से रोक दिया गया था।

(15) इन तथ्यों के दृष्टिगत वर्तमान पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिकाकर्ता-वादी द्वारा दायर संहिता की धारा 151 के साथ आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत आवेदन स्वीकार किया जाता है और उत्तरदाताओं संख्या 5 से 7 को विवाद में संपत्ति को तीसरे को स्थानांतरित करने से रोका जाता है। व्यक्ति, वर्तमान मुकदमे के लंबित रहने के दौरान। उन्हें मुकदमे के लंबित रहने के दौरान विवादग्रस्त संपत्ति पर निर्माण करने से भी रोका गया है।

(16) हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इसमें देखी गई किसी भी बात का विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा गुण-दोष के आधार पर इस मामले के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आरएनआर

(2) 2010 (2) पीजेडआर। 499

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सुखवीर कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा